न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
29/2023	27/03/2023	20/02/2025

1. अंकिता कुमारी नागर पुत्री गिर्राज नागर जाति धाकड़ निवासी गैंता हाल निवास हरिनगर खेडली पेमा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. नीलम नागर पुत्री गिर्राज नागर जाति धाकड़ निवासी गैंता हाल निवास हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. राजेश बाई पत्नी गिर्राज नागर जाति धाकड़ निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. किशनगोपाल पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
3. सत्यनारायण पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णयः– 20/2/25

संक्षेप में विवरण यह है कि ग्राम गैंता पटवार हल्का गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की जमाबंदी संवत 2063–66 की खसरा संख्या 377 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा संख्या 394 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा संख्या 457 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा संख्या 505 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा संख्या 711 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्टर कृषि आराजी में वादीगण के पिता मृतक गिर्राज पुत्र देवा का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। यह कि वादीगण के पिता गिर्राज पुत्र देवा दिनांक 14.08.2006 को फौत हो जाने के बाद मृतक गिर्राज के स्थान पर उसके विधिक वारिसान का नाम नामांतरण संख्या 948 दिनांक 17.01.2007 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। प्रतिवादी क्रम 4 व उसके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा मृतक गिर्राज के विधिक वारिसान के नाम की सही जानकारी प्राप्त नही करते हुए साधारण बोलचाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिये। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 4 व उसके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा मृतक गिर्राज के 1/3 हिस्से वाली वर्णित आराजी पर मृतक गिर्राज के स्थान पर वादीगण का साधारण बोलचाल वाला नाम नीलू व सीमा बाई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार नीलू व सीमा बाई का वर्णित आराजी में 1/9–1/9 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। यह कि प्रतिवादी क्रम 4 व उसके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी का यह दायित्व था कि मृतक गिर्राज के विधिक वारिसान वादीगण के नाम की सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मृतक गिर्राज के स्थान पर उसके विधिक वारिसान वादीगण का नाम मृतक गिर्राज के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन तत्काल हल्का पटवारी व प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा घोर त्रुटि करते हुए वादी अंकिता कुमारी नागर के स्थान पर सीमा बाई गलत दर्ज कर दिया गया व नीलम नागर के स्थान पर नीलू गलत दर्ज कर दिया गया। जिसका प्रतिवादी क्रम 4 व उसके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी तत्कालीन हल्का पटवारी को किसी प्रकार का गलत इन्द्रांज करने का अधिकार प्राप्त नही था। जबकि वादीगण को यह अधिकार

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

प्राप्त है कि प्रतिवादी क्रम 4 व उसके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा किये गये नाम के गलत इन्द्रांज को माननीय न्यायालय की सहायता से सही करवाने का अधिकार प्राप्त है। यह कि प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को वर्णित आराजी में संयुक्त खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उनके खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष वादीगण द्वारा वाद पत्र में नही चाहा गया है।

यह है कि ग्राम गैंता पटवार हल्का गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खसरा संख्या 377 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा संख्या 394 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा संख्या 457 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा संख्या 505 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा संख्या 711 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्टर कृषि आराजी में दर्ज सीमा बाई पुत्री गिरिराज को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी क्रम 1 अंकिता कुमारी नागर पुत्री गिर्राज नागर जाति धाकड़ तथा वर्णित आराजी में दर्ज नीलू पुत्री गिरिराज को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी क्रम 2 नीलम नागर पुत्री गिर्राज नागर जाति धाकड़ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। पालना हेतु प्रतिवादी क्रम 4 को आदेशित किया जावें।

वाद वादी की ओर से श्री श्याम वैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 1 व 2 स्वयं उपस्थित हुए। प्रतिवादीकम 3 की तलबी जर्ये रजि0 ए0डी0 से की गई। जवाब सरकार प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीकम 2 व 3 का जवाब बंद किया जाकर प्रतिवादीकम 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीकम 1 का जवाब पेश हुआ। शामिल पत्रावली है। बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंकतालिकाओं में वादीकम 1 का नाम अंकिता कुमारी नागर व वादीकम 2 का नाम नीलम नागर दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भी वादीकम 1 का नाम अंकिता कुमारी नागर व वादीकम 2 का नाम नीलम नागर दर्ज करना उचित बताया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गैंता पटवार हल्का गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खसरा संख्या 377 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा संख्या 394 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा संख्या 457 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा संख्या 505 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा संख्या 711 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्टर कृषि आराजी में दर्ज सीमा बाई पुत्री गिरिराज को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर सीमा उर्फ अंकिता कुमारी नागर पुत्री गिर्राज नागर जाति धाकड़ तथा वर्णित आराजी में दर्ज नीलू पुत्री गिरिराज को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर नीलू उर्फ नीलम नागर पुत्री गिर्राज नागर जाति धाकड़ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। इसी अनुरूप अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/12/25 खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
29 / 2023	27 / 03 / 2023	20 / 02 / 2025

1. अंकिता कुमारी नागर पुत्री गिर्राज नागर जाति धाकड़ निवासी गैंता हाल निवास हरिनगर खेडली पेमा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. नीलम नागर पुत्री गिर्राज नागर जाति धाकड़ निवासी गैंता हाल निवास हरिनगर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

—वादीगण

बनाम

1. राजेश बाई पत्नी गिर्राज नागर जाति धाकड़ निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. किशनगोपाल पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
3. सत्यनारायण पुत्र देवा जाति धाकड़ निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

—प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके माल ग्राम गैंता पटवार हल्का गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खसरा संख्या 377 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा संख्या 394 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा संख्या 457 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा संख्या 505 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा संख्या 711 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्टर कृषि आराजी में दर्ज सीमा बाई पुत्री गिरिराज को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर सीमा उर्फ अंकिता कुमारी नागर पुत्री गिर्राज नागर जाति धाकड़ तथा वर्णित आराजी में दर्ज नीलू पुत्री गिरिराज को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर नीलू उर्फ नीलम नागर पुत्री गिर्राज नागर जाति धाकड़ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। इसी अनुरूप अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 20/2/25... को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी,
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा